

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 25 (20) साप्र/गुप-4/2011

जयपुर, दिनांक 19/2/15

प्रबंधक, विश्राम भवन  
अजमेर/बांरा/बाडमेर/भीलवाड़ा/चित्तौड़गढ़  
चुरू/डूंगरपुर/धौलपुर/जयपुर/जैसलमेर  
झुंझुनू/नागौर/पाली/सिरोही/टोंक/उदयपुर  
राजसमंद/करौली/माउण्ट आबू/प्रतापगढ़  
एवं जोधपुर हाउस नई दिल्ली।

**विषय :-** बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निस्तारण/नीलामी बाबत।

**प्रसंग :-** इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.07.14, 09.09.14,  
17.10.14 एवं 08.12.14

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2014 के अनुसरण में आपके कार्यालय के बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के दिनांक 31.12.2014 तक शत-प्रतिशत निस्तारण के निर्देश प्रदान किए गए थे किन्तु आदिनांक तक आप द्वारा नीलामी की कार्यवाही प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है।

वित्त विभाग (सा. वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) के परिपत्र दिनांक 06.02.2015 द्वारा अब परिपत्र में वर्णित नियमों में शिथिलन तथा अन्य प्रावधानों की अवधि दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ा दी गई है। अतः निर्धारित दिनांक तक शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करावे।



(डॉ. मनीष शुक्ला)  
मुख्य लेखाधिकारी